राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः पीएस / नविआ / 2020 / जयपुर, दिनांक 18.04.2020

आदेश

कोविड–19 के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 15.04.2020 के क्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक F.33(2)/Home/Gr.9/2019 दिनांक 15.04.2019 द्वारा समस्त प्रदेश में लॉक डाउन को 03 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक मॉडिफाइड लॉक डाउन लागू किया गया है। मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान कार्मिक (ख–3) विभाग के आदेश दिनांक 17.04.2020 के क्रम में नगरीय विकास विभाग के क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न प्रकार के निर्देश जारी किये जाते हैंः–

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न प्रकार निर्देश हैः–

1. अखिल भारतीय सेवाओं /राज्य सेवाओं के समस्त अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. सभी कार्यालयों में एक तिहाई मंत्रालयिक कर्मचारी बारी–बारी से कार्यालय में उपस्थित होंगे। उक्त सीमा में बारी–बारी से कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कर्मचारियों के नाम सहित आदेश संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर जारी किये जा कर इस विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।
3. जिन कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर जिस दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं होना है उस दिन उनकी स्थिति घर से कार्य करने की होगी तथा वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है।
4. इस दौरान किसी भी कार्मिक के विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी व कर्मचारी जो शहर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में अथवा राज्य के अन्य किसी भी क्षेत्र के कर्फ्यू ग्रस्त या करोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहते है, को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। इसे संबंधित कार्यालय अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा।
6. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में करोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी संबंधी मापदण्डों का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

Scanned with CamScanner

7. इस दौरान कार्यालय में बड़ी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल होने की संभावना हो आयोजित नहीं की जायेगी।
8. मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान आज जन का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को थर्मल स्केनर जांच पश्चात आवश्यकतानुसार अनुमति दी जायेगी।

कोविड–19 के उपचार एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राज कोविड–19 (Raj Kovid Info) तथा भारत सकार द्वारा आरोग्य सेतु एप विकसित किया गया है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से बलपूर्वक आग्रह है कि आप उक्त ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें तथा करोना से बचाव हेतु उसका उपयोग करें। करोना से बचाव संबंधी समय–समय पर राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी चिकित्सकीय मापदंडों की पालना करते हुये अपने–अपने कार्यालयों में राजकीय कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर, राजस्थान
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान

प्रमुख शासन सचिव

Scanned with CamScan